



2026:AHC:68031

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण ज़मानत आवेदन संख्या- 8717 वर्ष 2026

मनचंद्र @ राम सिंह और अन्य आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य प्रतिपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता: देवेंद्र सिंह

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय सं - 69

माननीय न्यायमूर्ति श्री जितेंद्र कुमार सिन्हा

1. आवेदकों के अधिवक्ता श्री देवेंद्र सिंह और राज्य-प्रतिपक्षियों के लिए अपर शासकीय अधिवक्ता श्री बी.पी. मौर्य को सुना।
2. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 483 के तहत प्रस्तुत ज़मानत आवेदन आवेदक मनचंद्र @ राम सिंह और सुनील कुमार की ओर से दायर किया गया है, जिसमें उन्हें अपराध संख्या-289 वर्ष 2025 में उत्तर प्रदेश गैरकानूनी धर्म परिवर्तन निषेध अधिनियम, थाना-खाखरेरू, जिला फतेहपुर की धारा 115(2), 352, 351(2) बी.एन.एस. और 3/5(1) के तहत ज़मानत पर रिहा करने की प्रार्थना की गई है।
3. आवेदकों के अधिवक्ता द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक निर्दोष हैं और गुप्त उद्देश्य के कारण उन्हें इस मामले में गलत तरीके से फंसाया गया है। आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि आवेदकों के कब्जे से कुछ भी बरामद नहीं किया गया है। सह-अभियुक्त, अनिल कुमार पासवान, जिनके कब्जे से कथित तौर पर कुछ आपत्तिजनक वस्तुएं बरामद की गई हैं, को इस न्यायालय की एक समन्वय पीठ द्वारा **आपराधिक प्रकीर्ण ज़मानत आवेदन संख्या-6833 वर्ष 2026** में पारित दिनांक 24.02.2026 के आदेश द्वारा ज़मानत पर पहले ही बढ़ा दिया गया है। आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि आवेदकों और अन्य सह-अभियुक्त व्यक्तियों के खिलाफ केवल सामान्य आरोप

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



लगाए गए हैं, अर्थात् कि वे गांव में इकट्ठे हुए थे और सूचनाकर्ता और अन्य ग्रामीणों को पैसे का प्रलोभन देकर हिंदू धर्म से ईसाई धर्म में परिवर्तित होने के लिए कह रहे थे। आवेदक 20.1.2026 से जेल में बंद हैं, यह वचन देते हुए कि यदि उन्हें स्वतंत्रता दी जाती है तो वे स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेंगे। यह भी बताया गया है कि न्यायालय में मामलों की भारी संख्या के लंबित होने के मद्देनजर, मुकदमे के शीघ्र निष्कर्ष की कोई संभावना नहीं है।

4. ततस्य विपरीत अपर शासकीय अधिवक्ता ने आवेदकों की जमानत के लिए प्रार्थना का विरोध किया है।

5. प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार, आवेदकों के कब्जे से कुछ भी बरामद नहीं हुआ है। सह-अभियुक्त, अनिल कुमार पासवान, जिसके कब्जे से कुछ आपत्तिजनक वस्तुएं बरामद होने का आरोप है, को इस न्यायालय की एक समन्वय पीठ द्वारा **आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या-6833 वर्ष 2026** में पारित दिनांक 24.02.2026 के आदेश द्वारा पहले ही जमानत पर रिहा कर दिया गया है। आवेदकों और अन्य सह-अभियुक्त व्यक्तियों के खिलाफ केवल सामान्य आरोप लगाए गए हैं, अर्थात् वे गांव में इकट्ठे हुए थे और सूचनाकर्ता और अन्य ग्रामीणों को पैसे का प्रलोभन देकर हिंदू धर्म से ईसाई धर्म में परिवर्तित होने के लिए कह रहे थे। आवेदक 20.1.2026 से जेल में बंद है।

6. तथ्यों, प्रकृति और अभिलेखों से परिलक्षित साक्ष्यों की समग्रता पर विचार करने पर और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मुझे लगता है कि यह जमानत के लिए एक उपयुक्त मामला है। इसलिए, प्रस्तुत जमानत आवेदन की **अनुमति** दी जाती है।

7. उपरोक्त मामले के अपराध में शामिल आवेदकों- मनचंद्र @ राम सिंह और सुनील कुमार को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए समान राशि में दो-दो जमानतदार के साथ 50,000/- रुपये के व्यक्तिगत मुचलके प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाएगा: -

(i) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा ताकि उन्हें अदालत



या किसी पुलिस अधिकारी को ऐसे तथ्यों का खुलासा करने या सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने से रोका जा सके।

(ii) आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव नहीं डालेंगे/डराएंगे।

(iii) आवेदक (i) मामले को खोलने, (ii) आरोप तय करने और (iii) बी.एन.एस.एस. की धारा 351 के तहत बयान दर्ज करने के लिए निर्धारित तिथियों पर विचारण न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेंगे।

(iv) आवेदक इस आशय का एक वचन पत्र दायर करेंगे कि जब गवाह विचारण न्यायालय में उपस्थित हों तो वे साक्ष्य के लिए निर्धारित तिथियों पर कोई स्थगन की मांग नहीं करेंगे।

(v) आवेदक व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिवक्ता के माध्यम से निर्धारित प्रत्येक तारीख पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेंगे।

8. उपरोक्त शर्तों में से किसी के उल्लंघन के मामले में, यह ज़मानत रद्द करने का आधार होगा।

9. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में कही गई कोई भी बात इस ज़मानत आवेदन के निर्धारण के उद्देश्य तक सीमित है और इसे किसी भी तरह से मामले के गुण-दोष पर अभिव्यक्ति के रूप में नहीं माना जाएगा। विचारण न्यायालय इस आदेश में कही गई किसी भी बात से अप्रभावित साक्ष्य के आधार पर अपने स्वतंत्र निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र होगा।

मार्च 30, 2026

सुमैरा

(न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार सिन्हा)